

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एम.ई/ग्रुप-1/2021

जयपुर, दिनांक : 24/9/21

डॉ. हरि नंदन मीणा पुत्र श्री घनश्याम मीणा,
ए-100, शुभ आंगन कॉलोनी,
रायपुरा, डी.सी.एम. सर्किल के पास,
कोटा (राज.)-324003

विषय:- सहायक आचार्य के पद पर नवनियुक्ति पर कार्यग्रहण किये जाने बाबत् नोटिस।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.05.2021 द्वारा आपको सहायक आचार्य, माइक्रोबायोलोजी के पद पर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था। आपके स्वयं के अनुरोध पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.06.2021 एवं 01.07.2021 द्वारा आपको कार्यग्रहण अवधि में क्रमशः 1 माह एवं 2 माह की अभिवृद्धि प्रदान की गई। आप द्वारा उक्त 3 माह की अवधि पूर्ण होने पर पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की बजाय पुनः कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि बाबत् अनुरोध किया है।

अतः जरिए रजिस्टर्ड नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि पत्र जारी होने की दिनांक से 3 दिवस की अवधि में पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करें। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त किया जाकर प्रतीक्षा सूची में से नियमानुसार अन्य अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही शुरू की जायेगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार सोनी)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के पत्र जारी होने की दिनांक से 3 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उप शासन सचिव